उत्तर प्रदेश शासन

नियुक्ति अनुभाग-2

संख्या-11/2023/134/दो-2-2023-28/2(23)/2023

लखनऊ: दिनांक: 08 फरवरी, 2023

आदेश

श्री लव कुमार सिंह,पी0सी0एस0,से0नि0 द्वारा अपने भविष्य निधि निर्वाह खाता संख्या-**जी0ए0यू0-76989** में कुल जमा धनराशि के सापेक्ष 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- श्री लव कुमार सिंह,पी0सी0एस0,से0नि0 के जी0पी0एफ0 खाते में महालेखाकार कार्यालय के पत्रांक-निधि-17/मिलान डायरी/296/51133/69236/89545, दिनांक 17/19.01.2023 के अनुसार वर्ष-2021-22 तक कुल जमा धनराशि रू0 10,57,496/-(रू0-दस लाख सन्तावन हजार चार सौ छियान्वे मात्र) जिस पर माह 3/2022 तक ब्याज सम्मिलित है, का सत्यापन किया गया है, की 90 प्रतिशत धनराशि रू0-9,51,746/-(रू0 नौ लाख इक्यावन हजार सात सौ छियालीस मात्र) होती है, के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-ए0जी057/दस-84-510/84, दिनांक 26-12-84 के साथ पठित शासनादेश संख्या-सा-4-ए0जी058/दस-84-510/84 दिनांक 12-01-90 के अधीन स्वीकृत किए जा रहे है।

4- प्रमाणित किया जाता है कि भुगतान की जा रही जी0पी0एफ0 की धनराशि श्री लव कुमार सिंह के जी0पी0एफ0 खाते में जमा धनराशि के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम(निधि-17) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। **(रजिस्टर्ड)**

2- **निदेशक, नागरिक सुरक्षा, 5 वी मंजिल, जवाहर भवन,उ0प्र0 लखनऊ** को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया श्री लव कुमार सिंह,**पी0सी0एस0, तत्कालीन कमाण्डेन्ट नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान,उ0प्र0 लखनऊ सम्प्रति सेवानिवृत्त** के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि की 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कराने का कष्ट करें तथा यह भी सुनिश्चि कर लिया जाय कि भुगतान की जाने वाली धनराशि 90 प्रतिशत से अधिक न हो। **(रजिस्टर्ड)**

3- **मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार(कलेक्ट्रेट) लखनऊ। (रजिस्टर्ड)**

4- श्री लव कुमार सिंह,पी.सी.एस.से.नि.,पता-म.नं.-भूखण्ड संख्या-21 ए, गंगोत्री विहार कालोनी,फेज-।।,खरगापुर,लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। **(रजिस्टर्ड)**

आज्ञा से,

(विजय कुमार संखवार)
संयुक्त सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in